

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.
(आप.प्र.क.क्रमांक :- 227 / 2016)
(संस्थित दिनांक :- 04 / 05 / 2016)

म.प्र. राज्य,
 द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ
 जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन

/// विरुद्ध ///

01. गंगाराम शर्मा पुत्र छोटेलाल शर्मा उम्र 61 वर्ष
 02. आशाराम शर्मा पुत्र छोटेलाल शर्मा उम्र 36 वर्ष
 03. ओमप्रकाश शर्मा पुत्र छोटेलाल शर्मा उम्र 41 वर्ष
 04. रामवीर शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा उम्र 21 वर्ष
- निवासीगण :- ग्राम जलालपुरा, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

..... अभियुक्तगण

/// निर्णय ///

(आज दिनांक : 04 / 01 / 2017 को घोषित)

01. अभियुक्तगण गंगाराम, आशाराम, ओमप्रकाश एवं रामवीर पर भा.द.सं. की धारा 294, 452, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग II के अन्तर्गत आरोप हैं कि उन्होंने दिनांक :- 25 / 01 / 2016 को सुबह लगभग 09:00 बजे फरियादी माताप्रसाद शर्मा का मकान स्थित ग्राम जलालपुरा में, धारदार आयुध कुल्हाड़ी, लाठी-डण्डा लेकर फरियादी को उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात् प्रवेश कर गृह अतिचार किया, फरियादी माताप्रसाद को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी माताप्रसाद, रामकटोरी, सीताराम, देवेश एवं देवप्रसाद की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में सहअभियुक्तगण ने फरियादी माताप्रसाद, रामकटोरी, सीताराम, देवेश एवं देवप्रसाद की लाठी-डण्डों एवं धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहतियों कारित की एवं फरियादी माताप्रसाद को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 25 / 01 / 2016 को सुबह लगभग 09:00 बजे फरियादी माताप्रसाद शर्मा का मकान स्थित ग्राम जलालपुरा में, आरोपीगण द्वारा फरियादी के घर में कुल्हाड़ी एवं लाठी से सुज्जजित होकर प्रवेश करने, उससे गाली-गलौच करने, उसकी, रामकटोरी, सीताराम, देवेश एवं देवप्रसाद की धारदार आयुध कुल्हाड़ी एवं लाठी-डण्डों से मारपीट करने एवं जान से मारने की

धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी माताप्रसाद द्वारा उसी दिनांक थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक :- 23/2016 अन्तर्गत धारा 452, 294, 323 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामे बनाये गये। फरियादी माताप्रसाद, आहतगण रामकटोरी, सीताराम, देवप्रसाद, देवेश, राजू एवं रामवरन के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 452 294, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहतगण के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपीगण ने दिनांक : 25/01/2016 को सुबह लगभग 09:00 बजे फरियादी माताप्रसाद शर्मा का मकान स्थित ग्राम जलालपुरा में, धारदार आयुध कुल्हाड़ी, लाठी-डण्डा लेकर फरियादी को उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात् प्रवेश कर गृह अतिचार किया?

02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी माताप्रसाद, रामकटोरी, सीताराम, देवेश एवं देवप्रसाद की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में सहअभियुक्तगण ने फरियादी माताप्रसाद, रामकटोरी, सीताराम, देवेश एवं देवप्रसाद की धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहतियों कारित की?

03. अंतिम निष्कर्ष ?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01 एवं 02

06. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

07. फरियादी माताप्रसाद अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण गंगाराम, ओमप्रकाश, आशाराम एवं रामवीर को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 16/12/2016 से लगभग आठ-नौ माह पूर्व की

सुबह लगभग 09 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि आरोपीगण से उसका खेत में मवेशी चराने पर से मुँहवाद हो गया है और उसी पर से आरोपीगण ने उनकी मारपीट कर दी थी। घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना मौ में लेखबद्ध कराई थी, जो प्र.पी. 01 है, जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी माताप्रसाद अ.सा.01 ने आरोपीगण द्वारा दिनांक : 25/01/2016 को सुबह लगभग 09:00 बजे उसके मकान स्थित ग्राम जलालपुरा में, धारदार आयुध कुल्हाड़ी, लाठी-डण्डा लेकर फरियादी को उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात् प्रवेश कर गृह अतिचार करने एवं उसकी, रामकटोरी, सीताराम, देवेश एवं देवप्रसाद की धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहतियों कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी माताप्रसाद अ.सा.01 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई, प्रथम सूचना सूचना प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभास की प्रकृति के हैं।

08. आहत रामकटोरी अ.सा.02, सीताराम अ.सा.03, देवेश अ.सा.04 एवं देवप्रसाद अ.सा.05 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपीगण द्वारा दिनांक : 25/01/2016 को सुबह लगभग 09:00 बजे फरियादी के मकान स्थित ग्राम जलालपुरा में, धारदार आयुध कुल्हाड़ी, लाठी-डण्डा लेकर फरियादी माताप्रसाद को उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात् प्रवेश कर गृह अतिचार करने एवं माताप्रसाद एवं उनकी धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहतियों कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

09. आरोपीगण तथा फरियादी/आहतगण के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी माताप्रसाद अ.सा.01, आहतगण रामकटोरी अ.सा.02, सीताराम अ.सा.03, देवेश अ.सा.04 एवं देवप्रसाद अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

10. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपीगण ने दिनांक :- 25/01/2016 को सुबह लगभग 09:00 बजे फरियादी माताप्रसाद शर्मा का मकान स्थित ग्राम जलालपुरा में, धारदार आयुध कुल्हाड़ी, लाठी-डण्डा लेकर फरियादी को उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात् प्रवेश कर गृह अतिचार किया एवं सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी माताप्रसाद, रामकटोरी, सीताराम, देवेश एवं देवप्रसाद की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में सहअभियुक्तगण ने फरियादी माताप्रसाद, रामकटोरी, सीताराम, देवेश एवं देवप्रसाद की धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहतियों कारित की।

11. अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध धारा 452 एवं 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण गंगाराम, आशाराम, ओमप्रकाश एवं रामवीर को धारा 452 एवं 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

12. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद